



Neutral Citation No. - 2026:AHC:181337

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 3792 सन् 2026

एक्स किशोर

..... पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आसिफ हसन, तुफैल हसन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए तथा विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा आपराधिक अपील संख्या 62 सन् 2026 में पारित दिनांक 10.6.2026 के निर्णय एवं आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 11 सन् 2026, धारा 137(2), 87 भारतीय न्याय संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4, थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद में पारित दिनांक 20.5.2026 के जमानत निरस्तीकरण आदेश को अपास्त किया जाए तथा आगे यह कृपा की जाए कि मुकदमा अपराध संख्या 11 सन् 2026, धारा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



137(2), 87 भारतीय न्याय संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4, थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद में किशोर न्याय बोर्ड, फिरोजाबाद के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान किशोर को उसके दादा की अभिरक्षा में रिहा किया जाए।

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता की आयु लगभग 17 वर्ष है तथा वह 12.01.2026 से संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध है। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर नहीं भगाया, जिसकी आयु 16 वर्ष बताई गई है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि वह अपनी स्वेच्छा से पुनरीक्षणकर्ता के साथ गई थी तथा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार के बल या हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया है। पीड़िता का कथन धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी इच्छा से आगरा और तत्पश्चात नोएडा गई थी। उसने स्वयं पुनरीक्षणकर्ता को नोएडा बुलाया और जब वे शिकोहाबाद वापस आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वह 8 माह की अवधि से अमन को जानती थी। उसने आगे कहा कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उसकी माता उसका विवाह पुनरीक्षणकर्ता के साथ कर देंगी। इससे स्पष्ट होता है कि वह स्वेच्छा से इच्छुक थी, इन तथ्यों पर किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचार नहीं किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत आवेदन का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को निरस्त करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपचारी 12.01.2026 से किशोर देखरेख गृह में निरुद्ध है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, अतः किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने तथा आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।
5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, पीड़िता एवं अपचारी की आयु, पीड़िता के कथन तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपना न्यायिक विवेक प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है तथा किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।
6. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 20.5.2026 को तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.6.2026 को पारित आदेश एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान अपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।
7. यह निर्देशित किया जाता है कि अपचारी/आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी का विधिक संरक्षक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू प्रत्येक संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा तथा आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।
 - (ii) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र भी प्रस्तुत करेगा कि किशोर उपयुक्त स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के साथ-साथ प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसे अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर तथा पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा तथा नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करें।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

31 अगस्त, 2026

जी.एस.एस.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”